07

# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

**भू–वापसी अपील वाद संख्या– 13/2021**

**रहमान मियाँ बनाम केसू बेदिया वगै०**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|

03.01.2023

इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी रहमान मियाँ, पिता–स्व० उसमान मियाँ, निवास ग्राम–मरामोहना, थाना–पतरातू, जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या 51/2015–16 केसू बेदिया वगै० बनाम रहमान मियाँ में दिनांक–18.01.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–मरामोहना, खाता सं०–05, प्लॉट सं०–203, कुल रकवा–0.68 ए० मध्ये रकवा–0.17 ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–मरामोहना, खाता सं०–05, प्लॉट सं०–203, कुल रकवा–0.68 ए० मध्ये रकवा–0.17 ए० भूमि सर्वे खतियान चरका बेदिया वल्द घशीया बेदिया के नाम से रैयती आदिवासी खाते की भूमि दर्ज है। द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते है। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि सादा पचनामा के आधार पर दावा करते है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–मरामोहना के पंजी–II के पृ०सं०–8/II मे खाता सं०–05, कुल रकवा–16.17½ का जमाबंदी पन्डु महतो के नाम से कायम है। लगान रसीद वर्ष 2015–16 तक निर्गत है। प्राधिकार कॉलम मे कोई आदेश दर्ज नही है। अपीलार्थी के नाम से जमाबंदी कायम नही है। 0.02 ए० भूमि पर अपीलार्थी का कच्चा मकान लगभग 12 वर्ष से बना हुआ है। उक्त भूमि अपीलार्थी को सादा अनिबंधित कागजात द्वारा प्राप्त है। अपीलार्थी के द्वारा



62

Scanned with OKEN Scanner

बतलाया गया है की उक्त भूमि में उन्हें सादा पंचनामा के आधार पर प्राप्त हुआ है। लेकिन सादा अनिबंधित कागजात को न्यायालय के द्वारा वैध कागजात नहीं माना जाता है। अर्थात अपीलार्थी के द्वारा गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आदिवासी खाते की भूमि का हस्तांतरण जमीन गैर आदिवासी को किस बैध कागजात से हुआ है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश यथावत् रखने की कृपा की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–मसमोहना पंजी–II के पृ०सं०–8/II में खाता सं०–05, कुल रकवा–16.17½ का जमाबंदी पन्दु महतो के नाम से कायम है। अपीलार्थी के द्वारा सादा अनिबंधित कागजात के द्वारा भूमि प्राप्ति का दावा करते है। उक्त कागजात को न्यायालय के द्वारा वैध कागजात नहीं माना जाता है। अर्थात गैर आदिवासी के द्वारा गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–51/2015–16 केसू बेदिया वगै0 बनाम रहमान मियाँ में दिनांक–18.01.2021 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) के तहत पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
03.01.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
03.01.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

25 | विविध
07/01/2023



Scanned with OKEN Scanner

# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

**भू–वापसी अपील वाद संख्या–13/2021**

**रहमान मियाँ बनाम केसू बेदिया वगै०**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|
| 26/05/25 | अभिलेख उपस्थापित। <br> भू–वापसी अपील वाद संख्या–13/2021 रहमान मियाँ बनाम केसू बेदिया वगै० में तत्कालिन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिनांक–03.01.2023 को आदेश पारित किया गया है। अपरिहार्य कारणों से उक्त वाद का अंतिम पारित आदेश राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। दिनांक–11.03.2025 को राजस्व से संबंधित कार्यो की समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्त्तमान पदस्थापित पीठासीन पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से उक्त वाद में पारित अंतिम आदेश की प्रति राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। <br> तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई करें। <br> Chandan 26/05/25 <br> उपायुक्त, <br> रामगढ़। | |

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.05.28 13:29:21 +05:30
Location: 192.168.137.1



Scanned with OKEN Scanner